भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3253 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

राष्ट्रीय जलमार्गों पर स्थित नदी पत्तन

†3253. डॉ.मोहम्मद जावेद:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्यरत नदी पत्तनों, टर्मिनलों और जेट्टी संबंधी आंकड़ें है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राष्ट्रीय जलमार्ग-वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक सुविधा के शुरू होने या बंद होने की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का आंतरिक क्षेत्रों में जल परिवहन का संवर्धन करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों पर बंद पड़े नदी पत्तनों, टर्मिनलों और जेट्टी को पुनः शुरू करने, आधुनिक बनाने या उनका पुनः विकास करने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और चिह्नित की गई परियोजनाओं की सूची क्या है और इनके कार्यान्वयन में लगने वाला संभावित समय कितना है;

(घ) क्या सरकार के पास पिछले पाँच वर्षों में राष्ट्रीय जलमार्गों पर नदी पत्तनों और टर्मिनलों के माध्यम से होने वाले कार्गो और यात्री यातायात के आंकड़े हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो कार्गो के परिमाण (मीट्रिक टन में), ढोए गए माल के मूल्य (रु. करोड़ में), यात्री यातायात और उससे हुई आय सहित तत्संबंधी राष्ट्रीय जलमार्ग-वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है, साथ ही सरकार द्वारा आंतरिक जलमार्गों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग) जी, हाँ। 28 स्थायी नदी पत्तनों/ टर्मिनलों और 116 फ्लोटिंग जेट्टी/ लैंडिंग प्वाइंट का राष्ट्रीय जलमार्ग-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत संगठन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा नदी पत्तनों/ टर्मिनल एवं फ्लोटिंग जेट्टियों का विकास किया गया है, जो चालू है एवं जनमानस के उपयोग के लिए पूर्णतः तैयार अवस्था में उपलब्ध है।

(घ) गत पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो तथा यात्री जलयानों की आवाजाही संबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वर्ष	**कार्गो (मिलियन मीट्रिक टन में)**	**यात्री (संख्या)**
2021-22	108.79	24,32,041
2022-23	126.15	1,25,52,965
2023-24	133.03	1,41,39,552
2024-25	145.84	7,63,81,332
2025-26	218.24	10,55,70,442

(ङ) गत पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग-वार कार्गो आवाजाही तथा राष्ट्रीय जलमार्गों पर हैंडल किए गए यात्री आवाजाही संबंधी राज्य-वार ब्यौरे क्रमश: **अनुबंध-II** तथा **अनुबंध-III** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त विगत पाँच वर्षों के दौरान आईडब्ल्यूएआई द्वारा सृर्जित राजस्व का ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है। तथापि, परिवहित मालों के मूल्य संबंधी आँकड़ों का केंद्रीय रूप से अनुरक्षण नहीं किया जाता।

राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग में वृद्धि हेतु अंतर्देशीय जल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए अवसंरचनात्मक एवं नीतिगत उपायों का ब्यौरा **अनुबंध-V** में दिया गया है।

अनुबंध-I

दिनांक 07/08/2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3253 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

राष्ट्रीय जलमार्गों पर स्थायी टर्मिनलों / फ्लोटिंग जेटियों / लैंडिंग प्वाइंट की सूची	
राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-1-उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल	
स्थायी टर्मिनल	
1	मल्टी मॉडल टर्मिनल (एमएमटी), वाराणसी
2	गायघाट पटना
3	साहिबगंज एमएमटी
4	गार्डन रीच जेट्टी II, कोलकाता
5	एमएमटी हल्दिया
6	फरक्का जेट्टी (फरक्का बैराज परियोजना का)
7	पाकुड़ जेट्टी (फरक्का बैराज परियोजना की)
8	इंटरमॉडल टर्मिनल कालूघाट
9	बीटीपीएस जेट्टी
राष्ट्रीय जलमार्ग-2 - असम	
10	पांडु, गुवाहाटी
11	धुबरी
12	एमएमटी जोगीघोपा
13	बोगीबील
राष्ट्रीय जलमार्ग -3 - केरल	
14	कोट्टापुरम
15	अलुवा
16	सीएसईजेड कक्कानाड
17	मरादु
18	वाईकॉम
19	तन्नीरमुक्कम
20	अलाप्पुझा
21	त्रिकुन्नप्पुझा
22	कायमकुलम
23	चावरा
24	कोल्लम
25	बोलगटी
26	विलिंग्डन द्वीप
राष्ट्रीय जलमार्ग -16 - असम	

27	बदरपुर
28	करीमगंज
राष्ट्रीय जलमार्गों पर फ्लोटिंग जेटियों / लैंडिंग प्वाइंट की सूची	
राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.)-1 - उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल	
फ्लोटिंग जेटियों / लैंडिंग प्वाइंट	
29	चुनार
30	मिर्जापुर
31	गाजीपुर
32	बक्सर
33	डोरीगंज
34	चिरांद
35	सिमरिया
36	मुंगेर
37	सुल्तानगंज
38	बटेश्वरस्थान
39	समताघाट
40	जंगीपुर
41	मुर्शिदाबाद
42	मटियारी
43	काल्ना
44	कोलकाता
45	नामखाना
46	भागवतपुर
राष्ट्रीय जलमार्ग -97	
47	बाली द्वीप
48	हेमनगर (भारत)
राष्ट्रीय जलमार्ग -2	
49	जोगीघोपा
50	गोलपाड़ा
51	बागबोर
52	बोहिरी
53	सुआलकुची
54	उत्तर गुवाहाटी
55	माचकोवा
56	फैन्सी बाज़ार
57	उज़ान बाज़ार

58	मायोंग पहाड़
59	पोबित्रा
60	सिंगरी
61	तेजपुर
62	सिलघाट (काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान)
63	बिश्वनाथ घाट
64	धनसिरी मुख
65	बिन्ध्यकटा
66	गामिर घाट
67	सुबनसिरी मुख
68	माजुली द्वीप
69	नेमाटी घाट
70	अपलामुख
71	सिबसागर (दिखोमुख)
72	बोगीबील
73	डिब्रूगढ़
74	ओकलैंड
75	ओरियम घाट
76	गुइज़न
77	सैखोवा
78	सादिया
राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर सामुदायिक जेट्टी	
उत्तर प्रदेश	
79	रामनगर
80	राजघाट
81	कैथी
82	बलुआ घाट
83	सईदपुर
84	चोचकपुर
85	जमानिया
86	कलेक्टर घाट
87	उजियार घाट (भरौली)
88	मझौआ
89	रविदास घाट
90	रविदास घाट (सामने घाट से स्थानांतरित)
91	सरायकोटा

92	डुंगुरपुर
93	कांसपुर
94	रविदास घाट
95	नमो घाट-1
96	नमो घाट-2
बिहार	
97	मनिहारी
98	तिनटंगा
99	कहलगांव
100	अगुआनी घाट
101	मुंगेर
102	सुल्तानगंज
103	दीघा, बिहार
104	मिठन घाट
105	कच्ची दरगाह
106	मोहनपुर
107	राघोपुर दियारा
108	नकटा दियारा
109	नासिरीगंज
110	पानापुर
111	बाढ़
112	बक्सर
113	महुली घाट
114	करागोला (अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ)
115	अयोध्या घाट
116	सिमरिया
117	एनआईटी घाट
झारखण्ड	
118	राजमहल (मंगलाघाट)
119	समदा घाट
पश्चिम बंगाल	
120	दैनहाट
121	मटियारी
122	सांखई
123	सठियाती
124	अग्रद्वीप (गाजीपुर साइट)

125	अग्रदीप (अग्रदीप साइट)
126	घोरियापारा-1
127	घोरियापारा-2
128	तालातला
129	फकीरदंगा
130	मानिकनगर
131	मगनपारा
132	नारकेलबारिया
133	प्लासी (पलासी)
134	रामनगर (पश्चिम बंगाल)
135	लालबाग कोर्ट घाट
136	सदरघाट
137	बरहामपुर (गोपाल घाट)
138	बरहामपुर (खागरा घाट)
139	सप्तऋषि घाट
140	माझेरचार
141	गुप्तीपारा
142	बारानगर
143	देवीपुर
144	बाजारपाड़ा

अनुबंध-।।

दिनांक 07/08/2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3253 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

राष्ट्रीय जलमार्ग में कार्गो आवाजाही का ब्यौरा

(कार्गो मिलियन मीट्रिक टन में)

राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
रा.ज.-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया-इलाहाबाद))	10.93	13.17	12.82	16.38	84.78
रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी-सादिया))	0.43	0.63	0.59	0.90	1.29
रा.ज.-3 (वेस्ट कोस्ट नहर)	1.70	3.23	3.29	3.49	4.04
रा.ज.-4 (कृष्णा गोदावरी नदी प्रणाली)	11.23	8.42	4.30	10.40	5.71
रा.ज.-5 (ईस्ट कोस्ट नहर और मताई नदी/ब्राह्मणी-खरसूआ-धामरा नदियां/महानदी डेल्टा नदियां)	0.01	0.40	0.64	0.38	0.66
रा.ज.-8 (अलप्पुझा-चंगनसेरी नहर)	-	0.03	0.04	0.04	0.04
रा.ज.-9 (अलाप्पुझा-कोट्टायम अथिरमपुझा नहर)	-	0.02	0.02	0.03	0.03
रा.ज.-14 (बैतरणी नदी)	-	-	0.00	-	0.03
रा.ज.-16 (बराक नदी)	0.01	0.01	0.00	0.18	0.27
रा.ज.-23 (बुढ़ा बलंगा नदी)	-	0.03	0.02	0.02	0.02
रा.ज.-27 (कंबरजुआ नदी)	-	-	-	-	0.36
रा.ज.-31 (धनसिरी/चाथे नदी)	-	-	0.01	0.00	0.00
रा.ज.-44 (इच्छामती नदी)	0.82	0.46	0.48	0.49	0.49
रा.ज.-47 (जलंगी नदी)	-	-	-	-	

					0.11
रा.ज.-48 (जवाई-लूनी नदी- कच्छ का रन्न)	-	-	-	2.40	2.58
रा.ज.-53 (कल्याण-ठाणे-मुंबई जलमार्ग, वसई क्रीक और उल्हास नदी)	-	-	-	2.70	3.23
रा.ज.-57 (कोपिली नदी)	-	-	-	-	0.00
रा.ज.-64 (महानदी नदी)	0.01	0.45	0.67	0.40	0.47
रा.ज.-86 (रूपनारायण नदी)	0.00	0.09	0.10	0.14	0.18
रा.ज.-94 (सोन नदी)	-	-	1.16	0.97	0.05
रा.ज.-97 (सुंदरबन जलमार्ग)	6.10	5.47	5.19	5.98	6.36
उप-कुल (राष्ट्रीय जलमार्ग 1,2,3,4,5,16,44,64,86,94, और 97)	**31.24**	**2.41**	**29.34**	**4.91**	**110.70**
महाराष्ट्र जलमार्ग				-	
रा.ज.-10 (अंबा नदी)	20.23	28.54	30.17	29.69	31.07
रा.ज.-83 (राजपुरी क्रीक)	0.23	0.24	0.45	0.27	0.28
रा.ज.-85 (रेवादंडा क्रीक-कुंडलीका नदी प्रणाली)	0.70	0.50	0.99	0.82	0.26
रा.ज.-91 (शास्त्री नदी - जयगढ़ क्रीक प्रणाली)	22.45	33.87	37.05	32.64	34.41
कुल महाराष्ट्र जलमार्ग	**43.61**	**63.15**	**68.66**	**3.41**	**66.02**
गोवा जलमार्ग				-	
रा.ज.-68 (मांडोवी नदी)	2.62	2.54	2.42	2.84	5.13
रा.ज.-111 (जुआरी नदी)	1.96	0.39	1.10	1.32	1.57
कुल गोवा जलमार्ग	**4.58**	**2.93**	**3.52**	**4.16**	**6.70**

गुजरात जलमार्ग				-	
रा.ज.-73 (नर्मदा नदी)	0.05	0.04	0.06	0.06	0.06
रा.ज.-100 (तापी नदी)	29.32	27.62	1.46	33.31	34.75
कुल गुजरात जलमार्ग	**29.37**	**27.66**	**31.51**	**33.36**	**34.81**
समग्र योग मिलियन टन	**108.79**	**126.15**	**133.03**	**145.84**	**218.24**

अनुबंध-III

दिनांक 07/08/2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3253 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

राष्ट्रीय जलमार्ग पर हैंडल किए गए यात्रियों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	रा.ज. सं.	राज्य	2024-25	2025-26
1	रा.ज.-1	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल	4,72,02,730	4,91,51,933
2	रा.ज.-2	असम	50,71,938	88,67,999
3	रा.ज.-3	केरल	1,05,23,478	1,11,19,541
4	रा.ज.-4	आंध्र प्रदेश	-	23,36,857
5	रा.ज.-5	ओडिशा	-	41,25,827
6	रा.ज.-8	केरल	4,75,513	4,24,678
7	रा.ज.-9	केरल	2,78,024	2,95,768
8	रा.ज.-10	महाराष्ट्र	2,96,759	3,22,499
9	रा.ज.-14	ओडिशा	-	4,80,385
10	रा.ज.-16	असम	20,06,940	37,38,567
11	रा.ज.-23	ओडिशा	-	76,567
12	रा.ज.-27	गोवा	-	7,20,724

13	रा.ज.-40	उत्तर प्रदेश	-	14,339
14	रा.ज.-44	पश्चिम बंगाल	4,27,054	8,33,163
15	रा.ज.-47	पश्चिम बंगाल	-	87,188
16	रा.ज.-53	महाराष्ट्र	24,40,300	31,70,252
17	रा.ज.-64	ओडिशा	-	4,61,567
18	रा.ज.-68	गोवा	28,04,828	87,08,115
19	रा.ज.-83	महाराष्ट्र	-	2,36,672
20	रा.ज.-86	पश्चिम बंगाल	7,13,113	9,39,412
21	रा.ज.-91	महाराष्ट्र	-	1,02,425
22	रा.ज.-97	पश्चिम बंगाल	31,85,723	67,02,172
23	रा.ज.-100	गुजरात	3,25,900	3,50,914
24	रा.ज.-111	गोवा	6,29,032	23,02,878
	कुल		**7,63,81,332**	**10,55,70,442**

अनुबंध-IV

दिनांक 07/08/2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3253 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पिछले 5 वर्षों के दौरान आईडब्ल्यूएआई द्वारा अर्जित राजस्व का विवरण नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपये में)

विवरण	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (अलेखापरीक्षित)**
राजस्व/आंतरिक प्राप्ति	1182.34	1397.04	1988.29	2533.90	1717.64

अनुबंध-V

दिनांक 07/08/2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3253 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अवसंरचनात्मक और नीतिगत उपाय:

1. **अवसंरचनात्मक उपाय**

(i) 5 पूर्व-मौजूदा स्थायी टर्मिनलों के अलावा रा.ज.-1 पर 66 सामुदायिक जेट्टियां, 20 फ्लोटिंग टर्मिनलों, 3 मल्टी-मॉडल टर्मिनलों (एमएमटी), 1 इंटर-मॉडल टर्मिनल (आईएमटी) और 4 रो-पैक्स टर्मिनलों का निर्माण किया गया है।

(ii) पांडु, जोगीघोपा में एमएमटी के साथ रा.ज.-2 पर 13 फ्लोटिंग टर्मिनलों और बोगीबील एवं धुबरी में टर्मिनलों का प्रावधान किया गया है। जोगीघोपा, पांडु, विश्वनाथ घाट और नेमाती में क्रूज जलयानों के लिए चार समर्पित जेट्टी प्रदान की गयी हैं। इसके अलावा, असम में सादिया, लाइका और ओरियम घाट पर क्रूज और यात्रियों के लिए जेट्टी का निर्माण किया गया है।

(iii) रा.ज.-16 पर बदरपुर और करीमगंज में 2 मौजूदा टर्मिनलों को उन्नत/नवीनीकृत किया गया और आईबीपी मार्ग पर त्रिपुरा में गुमती नदी पर सोनामुरा में 1 टर्मिनल का निर्माण किया गया है।

(iv) केरल में रा.ज.-3 पर गोदामों सहित 9 स्थायी आईडब्ल्यूटी टर्मिनल और 2 रो-रो/रो-पैक्स टर्मिनलों का निर्माण किया गया है।

(v) गोवा सरकार को 4 फ्लोटिंग कंक्रीट जेट्टियां प्रदान की गई और रा.ज.-68 पर स्थापित की गई हैं।

(vi) आंध्र प्रदेश में रा.ज.-4 पर 4 पर्यटक जेट्टियां शुरू की गई है और उत्तर प्रदेश में मथुरा-वृंदावन खंड में रा.ज.-110 पर 8 फ्लोटिंग जेट्टियां, रा.ज.-73 पर 2 जेट्टियां और बिहार में रा.ज.-37 पर 2 जेट्टियां स्थापित की गई हैं।

(vii) फरक्का में एक नया नौगमय लॉक बनाया गया है।

(viii) जलयान के सुचारू और तेज आवागमन को सुगम्य बनाने के लिए रा.ज.-1 पर 2 क्विक पोंटून ओपनिंग मैकेनिज्म (क्यूपीओएम) का निर्माण किया गया है।

(ix) जलयान के प्रचालन के लिए 35/45 मीटर चौड़ाई और 2.0/2.2/2.5/3.0 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) का नौचालन चैनल प्रदान करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों में फेयरवे रखरखाव कार्य (नदी प्रशिक्षण, रखरखाव ड्रेजिंग, चैनल मार्किंग और नियमित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण) शुरू किए गए हैं।

2. नीतिगत उपाय:

- **जलवाहक योजना:** सरकार द्वारा कार्गो स्वामियों के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र के उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा अंतर्देशीय और तटवर्ती नौवहन लिमिटेड (आईसीएसएल) द्वारा भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 और राष्ट्रीय जलमार्ग-2 तथा राष्ट्रीय जलमार्ग-16 पर कार्गो परिवहन हेतु निर्धारित सेवा के संचालन को बढ़ावा देने के लिए 35% प्रोत्साहन प्रदान करने की एक योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह योजना तीन वर्ष की अवधि के लिए 95.42 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जा रही है।

- **टनेज कर:** दिनांक 01.02.2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में, भारतीय जलयान अधिनियम, 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अंतर्देशीय पोतों तक टनेज कर योजना का विस्तार करने की घोषणा की गई। इससे अंतर्देशीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू), नदियों तथा नहरों पर संचालित अंतर्देशीय जलयानों को लाभ प्राप्त होगा। यह कदम अंतर्देशीय जलमार्गों का परिवहन के लिए उपयोग करने हेतु अधिक कार्गो स्वामियों को प्रोत्साहित करेगा तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने का अनुमान है। टनेज कर प्रणाली नौवहन कंपनियों के लिए एक विशेष कराधान व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत कर का निर्धारण वास्तविक लाभ के आधार पर न होकर जलयान के टनभार (टनेज) के आधार पर किया जाता है। यह व्यवस्था पोत स्वामियों को स्थिर, पूर्वानुमेय तथा अपेक्षाकृत कम कर दायित्व प्रदान करती है, जिससे उन पर पड़ने वाला वित्तीय भार कम होता है।

- **राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टियों/टर्मिनलों का निर्माण) विनियम, 2025** अधिसूचित कर दिए गए हैं। इन विनियमों के माध्यम से निजी कंपनियों को अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना में निवेश करने तथा उसका परिचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही, अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए एक स्पष्ट विनियामक ढांचा भी उपलब्ध कराया गया है।
- **जलयान एवं नाविक:** अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र में कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूयींग बिजनेस) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 'वाहन' **एवं** 'सारथी' की तर्ज पर देशभर में पोतों तथा चालक दल के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस एवं पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोतों एवं चालक दल के डिजिटल पंजीकरण को

सुगम बनाएगा तथा देश में पंजीकृत पोतों एवं चालक दल की संख्या संबंधी सटीक एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिससे नीति-निर्माण एवं योजनाओं के प्रभावी नियोजन में सहायता मिलेगी।

- **कार्गो समेकन:** जलमार्गों पर कार्गो परिवहन को जलमार्गों के किनारे उद्योगों के अभाव के कारण बहु-माध्यमीय परिवहन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अतः कार्गो समेकन केंद्रों के विकास के लिए वाराणसी में बहु-माध्यमीय लॉजिस्टिक्स पार्क तथा साहिबगंज में एकीकृत क्लस्टर-सह-लॉजिस्टिक्स पार्क की परियोजनाएँ आरंभ की गई हैं। इन एमएमएलपी के विकास हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तीन एमएमटी के लिए रेल संपर्कता का काम मेसर्स इंडियन पोर्ट एंड रेल कंपनी लिमिटेड (एमओपीएसडब्ल्यू के तहत एक पीएसयू) को सौंपा गया है।
- **आईबीपी मार्ग:** भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग संख्या 5 एवं 6 पर माइया और सुल्तानगंज के मध्य जलमार्ग को हाल ही में सफल परीक्षण परिचालन के उपरांत परिचालनात्मक बना दिया गया है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्गो परिवहन का परिवर्तन:** कार्गो को जलमार्गों से भेजने की व्यवस्था (मोडल शिफ्ट) के लिए, 140 से ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संपर्क किया गया है ताकि वे आईडब्ल्यूटी मोड का प्रयोग करके अपने सामान की आवाजाही की योजना बना सकें। उनसे जलमार्गों से कार्गो की आवाजाही की मौजूदा स्थिति और कार्गो के परिवहन के तरीके में बदलाव (मोडल शिफ्ट) की अपनी योजना बताने का अनुरोध किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, सहकारिता, उर्वरक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारी उद्योग, इस्पात और कोयला मंत्रालयों से कहा गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को परामर्श दें कि वे, जहाँ तक संभव हो, आईडब्ल्यूटी मोड का इस्तेमाल करें और एमआईवी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्गो का एक निश्चित प्रतिशत आईडब्ल्यूटी मोड के लिए तय करें।
